



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 1405/2012

यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि.

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

श्रीमती सबा अंजुम एवं अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय सिंह

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अनुभव सिंह, प्रेम शंकर प्रसाद

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह तथा प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर प्रसाद उपस्थित हैं।

2- यह वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 12, इलाहाबाद द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 213 सन् 2007 (श्रीमती सबा अंजुम बनाम श्री शैलेंद्र कुमार एवं अन्य) में पारित दिनांक 24.12.2011 के निर्णय एवं अधिनिर्णय को अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

3- प्रतिवादी-दावेदारों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण संख्या 213 सन् 2007 द्वारा पारित दिनांक 24.12.2011 के अधिनिर्णय में वृद्धि किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रति आपत्ति संख्या 60 सन् 2019 दाखिल किया है।

वाद के तथ्य

4- निर्णय के परिशीलन से यह तथ्य उभरकर आता है कि प्रतिवादी-दावेदार के पति की दिनांक 28.06.2006 को लगभग 4:00 बजे यमुना ब्रिज रेलवे क्रॉसिंग के निकट मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दावेदार द्वारा यह अभिकथित किया गया कि उसका पति, नजमुद्दीन अंसारी,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नैनी की ओर अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, तभी पंजीकरण संख्या यू.पी.-78ए.के.-2680 वाली एक अन्य मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना के तुरंत बाद उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद ले जाया गया, जहां बाद में उसने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी और वह जिला कारागार, ज्ञानपुर, भदोही में उर्दू अनुवादक के रूप में कार्य कर रहा था। उसे रु. 8,000/- प्रतिमाह वेतन प्राप्त हो रहा था।

5- दावेदारों की ओर से दो साक्षियों का परीक्षण कराया गया। दावेदार स्वयं, श्रीमती सभा संजुम, पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में उपस्थित हुईं। अपने बयान में, उन्होंने स्वीकार किया कि जब दुर्घटना हुई, तब वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थीं। अन्य साक्षी, मोहम्मद अल्ताफ का पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में परीक्षण कराया गया और उसने दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया। उसने कहा कि वह स्वयं घटनास्थल के निकट अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल ने उसे ओवरटेक किया और उसके बाद मोटरसाइकिल संख्या यू.पी.-70-ए.के.-2680 से टकरा गई। उसके अनुसार, दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मोटरसाइकिल चालक घटनास्थल पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं।

6- पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया, किंतु उसे विश्वसनीय नहीं पाया गया। न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से उसके इस कथन पर ध्यान दिया कि दुर्घटना के बाद वह स्वयं घटनास्थल से चला गया। उसने न तो घायल को अस्पताल पहुंचाया और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने अथवा घटना की सूचना देने के लिए पुलिस थाने गया। विद्वान न्यायाधिकरण ने ऐसे आचरण को संदिग्ध माना। उसने अभिलिखित किया कि यदि पी.डब्ल्यू.-2 वास्तव में घटनास्थल पर उपस्थित था और उसने ऐसी गंभीर दुर्घटना देखी थी, तो सामान्यतः वह कुछ कदम उठाता, विशेष रूप से घायल को अस्पताल ले जाकर अथवा पुलिस को सूचित करके। न्यायाधिकरण के अनुसार, उसकी पूर्ण निष्क्रियता ने घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न किया और परिणामतः प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उसकी गवाही पर अविश्वास किया गया।

7- तथापि, विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट और दुर्घटनाकारक मोटरसाइकिल के चालक/स्वामी के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना उक्त दुर्घटनाकारक मोटरसाइकिल के संलिप्त होने के कारण हुई थी।

अपीलकर्ता-बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुतियां

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8- अपीलकर्ता-बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने स्वयं पी.डब्ल्यू.-2 के कथन पर अविश्वास किया था, जिसे दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जब एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही संदिग्ध पाई गई, तब आक्षेपित मोटरसाइकिल की संलिप्तता स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सारभूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि दुर्घटना आक्षेपित मोटरसाइकिल के कारण हुई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप-पत्र पर भरोसा करने में त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, आरोप-पत्र केवल विवेचना का परिणाम है और सारभूत साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पी.डब्ल्यू.-2 का आचरण पूर्णतः अस्वाभाविक था, इस अर्थ में कि गंभीर दुर्घटना देखने के बावजूद, उसने न तो घायल को अस्पताल पहुंचाया और न ही पुलिस को सूचित किया तथा स्वयं घटनास्थल से चला गया। अतः न्यायाधिकरण द्वारा उसके कथन पर सही रूप से अविश्वास किया गया और आक्षेपित वाहन की संलिप्तता स्थापित करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

प्रतिवादी-दावेदारों की ओर से प्रस्तुतियां

9- इसके विपरीत, प्रतिवादी-दावेदारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने आक्षेपित वाहन के चालक/स्वामी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप-पत्र के आधार पर दुर्घटना तथा आक्षेपित मोटरसाइकिल की संलिप्तता को सिद्ध माना है। यह प्रस्तुत किया गया कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होती है और दावेदारों से अपने प्रकरण को उसी कठोरता के साथ स्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, जैसी आपराधिक विचारण में अपेक्षित होती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस द्वारा विवेचना किए जाने के पश्चात आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था और इसलिए विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री दावेदारों के प्रकरण का समर्थन करती है। केवल इस कारण कि पी.डब्ल्यू.-2 को पूर्णतः विश्वसनीय नहीं पाया गया, पूरे दावे को तब खारिज नहीं किया जा सकता था, जब अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य घटना और आक्षेपित मोटरसाइकिल की संलिप्तता का समर्थन करते थे। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष



10- प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही संदिग्ध पाए जाने के पश्चात, क्या विद्वान न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि दुर्घटना उक्त आक्षेपित मोटरसाइकिल के कारण हुई थी, आरोप-पत्र और पुलिस पत्रावली का भाग बनने वाले अन्य दस्तावेजों पर भरोसा करने में न्यायोचित था। इस न्यायालय की राय में, इसका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।

11- जब दावेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी को संदिग्ध पाया गया, तब आक्षेपित मोटरसाइकिल से संबंधित दुर्घटना के तथ्य को सिद्ध मानने के लिए आरोप-पत्र पर भरोसा करना त्रुटिपूर्ण था। आरोप-पत्र सारभूत साक्ष्य नहीं है। यह साक्ष्य एकत्र करने के पश्चात विवेचक द्वारा की गई विवेचना का परिणाम है। ऐसे साक्ष्य में साक्षियों के कथन, स्थल का निरीक्षण, वाहन का अभिग्रहण और विवेचना के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्री सम्मिलित हो सकती है। तथापि, विवादित तथ्य को स्थापित करने के लिए सारभूत साक्ष्य उस साक्षी से आना चाहिए, जिसकी गवाही न्यायालय के समक्ष भरोसा किए जाने योग्य पाई जाती है। आरोप-पत्र स्वयं ऐसे सारभूत साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता।

12- यही सिद्धांत चोट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोप-पत्र का भाग बनने वाले अन्य दस्तावेजों पर भी लागू होगा। ऐसे दस्तावेज इस तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं कि मृतक को चोटें आईं और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई तथा इस प्रकार दुर्घटना के तथ्य को स्थापित कर सकते हैं। तथापि, वे स्वयं दुर्घटना में किसी विशेष वाहन की संलिप्तता स्थापित नहीं कर सकते। चोट रिपोर्ट अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट चोटों की प्रकृति और परिणाम को स्थापित कर सकती है, किंतु दोनों में से कोई भी उस वाहन की पहचान नहीं कर सकती जिसने वे चोटें कारित की थीं। इसी प्रकार, आरोप-पत्र केवल विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर विवेचक द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को दर्शाता है और स्वयं आक्षेपित मोटरसाइकिल की संलिप्तता के सारभूत प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता।

13- उपर्युक्त के अतिरिक्त, पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती और इस न्यायालय की राय में, वह ऐसा साक्षी नहीं है, जिस पर घटना के किसी भी महत्वपूर्ण पहलू पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सके। उसके बयान से परिलक्षित होता है कि दुर्घटना से पूर्व मृतक उससे परिचित नहीं था। उसने आगे कहा कि आक्षेपित वाहन का चालक घटनास्थल से तत्काल भाग गया। यह परिस्थिति स्वयं इस बात के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करती है कि क्या पी.डब्ल्यू.-



2 ऐसी अचानक हुई घटना के दौरान आक्षेपित मोटरसाइकिल का पंजीकरण संख्या देख और सही रूप से याद कर सकता था। उसका बाद का आचरण भी विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। गंभीर दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने के बावजूद, उसने न तो घायल को अस्पताल पहुंचाया और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने अथवा घटना की सूचना देने के लिए पुलिस थाने गया, बल्कि स्वयं घटनास्थल से चला गया।

14- इस प्रकार, जब पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही अविश्वसनीय पाई जाती है, तब उक्त विशेष आक्षेपित मोटरसाइकिल की संलिप्तता स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सारभूत साक्ष्य शेष नहीं रहता है। अतः विद्वान न्यायाधिकरण केवल आरोप-पत्र पर भरोसा करके इस कमी को पूरा नहीं कर सकता था। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में आक्षेपित वाहन की संलिप्तता के संबंध में निष्कर्ष, परिणामतः, संधारणीय नहीं है।

15- तदनुसार, बीमा कंपनी द्वारा दाखिल अपील स्वीकृत की जाती है। परिणामतः, प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रति आपत्ति खारिज की जाती है। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय को एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

24 अगस्त, 2026

उज्ज्वल

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)